

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 340/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 दिनांक 14-मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग | - सदस्य |
| 4. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र | - सदस्य |
| 5. अधिशाषी अभियन्ता डिस्कॉम | - सदस्य |
| 6. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 | - सदस्य |
| 7. परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना यूपीनेडा | - सदस्य सचिव |

उक्त समिति में स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी को सहयुक्त किया जा सकेगा एवं सभी निवेशकों को अनिवार्य रूप से बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

प्राधिकृत समिति ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह समिति ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु समन्वय स्थापित कर भूमि एवं जलस्रोत का चिन्हाँकन एवं परियोजनाओं की स्थापना हेतु नियामक सुविधायें प्रदान करेगी।

भवदीय,




(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 376(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री / मा० राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र०।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-वित्त विभाग/राजस्व विभाग/ऊर्जा विभाग/
औद्योगिक विकास विभाग/सिंचाई विभाग/स्टाम्प एवं पंजियन विभाग/भूगर्भ जल
विभाग/नियोजन विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।
5. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक-समस्त डिस्काम, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित मण्डलीय
अधिकारियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित जनपद
स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
12. निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।